278

Register No. 3755
File No. IV-2449 20.2.16

पंजीकृत

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय,उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद ।

पत्रांक :– जी0ई0–2 / ग्रुप– 3 / एलआईडी– शून्य / 1311. दिनांक :– 02-02-2016.

सेवा में,

निबन्धक,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद – 211001

विषय :–श्री विनोद कुमार– 3, एच0जे0एस0 को स्वीकृत स्कूटर अग्रिम के अदेयता प्रमाण पत्र के निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि श्री विनोद कुमार 3 को स्वीकृत स्कूटर अग्रिम रू0 12500/– के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र सं0 जी0ई0– 3/ग्रुप– 3/ एल आई डी– शून्य/ 537–538/ 535–536/ 533– 534/ 531–532/529–530/ 527–528/ 525–526 /दिनांक 22.7.2015 द्वारा अग्रिम के विरूद्व अदायगी की विलुप्त किश्तों के समायोजन हेतु सम्बन्धित कोषाधिकारी/ इरला / पी0ए0ओ0 द्वारा प्रमाणित विवरणउपलब्ध कराने हेतु हनुरोध किया गया था जो अभी तक अप्राप्त है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि अग्रिम के मूलधन की विलुप्त अदायगियों के समायोजन हेतु सम्बन्धित कोषाधिकारी/ आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रमाणित विवरण इस कार्यालय को प्रेषित करें । ताकि प्रकरण में शीघ्रता की जा सके। साथ ही साथ इनकी विभिन्न स्थानों पर सेवाकाल में नियुक्ति स्थानों का विवरण भी इस कार्यालय में उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें जिससे सम्बन्धित स्थानों के आहरण वितरण अधिकारी/ कोषागार से इस कार्यालय के स्तर से पत्राचार कर विवरणों की मॉग की जा सके।

भवदीय

लेखाधिकारी / जी0ई0–2

पत्रांक – जी0ई0– 2/ ग्रुप– 3/ एल आई डी– शून्य /

प्रतिलिपि :– श्री विनोद कुमार 3 एच0जे0एस0, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं इस आशय के साथ प्रेषित किये अपने स्तर से भी प्रयास कर वांछित उपरोक्त विवरण उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।

201001.

लेखाधिकारी / जी0ई0–2

S.O. Admn. (A)

D.R.(M) 16-2-16

Mr Arvind 26.2.16

15 FEB 2015

Scooted
1-5-14
S.O. End

पंजीकृत

(1218) (2-T)

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

पत्रांक– जी0ई0–2/ग्रुप–3/एल0आई0डी0–शून्य/ 98. दिनांक– 21-4-2014.

सेवा में,

निबन्धक
उच्च न्यायालय
इलाहाबाद । 211001

Reg. No. 6807
File No. IV/2449
191

विषय– श्री विनोद कुमार-3 अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश गाजियाबाद को स्वीकृत स्कूटर अग्रिम के अदेयता प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में अवगत कराना है कि श्री विनोद कुमार-3 को स्वीकृत स्कूटर अग्रिम रु0 12500/– के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र सं0 जी0ई0–2/ग्रुप–3/एल0आई0डी0–शून्य/707 दिनांक 31.10.13 द्वारा अग्रिम के विरुद्व अदायगी की विलुप्त किस्तों के समायोजन हेतु सम्बन्धित कोषाधिकारी/इरला/पी0ए0ओ0 द्वारा प्रमाणित विवरण उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था जो अभी तक अप्राप्त है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि अग्रिम के मूल धन की विलुप्त अदायगियों के समायोजन हेतु संबंधित कोषाधिकारी/आहरण एंव संवितरण द्वारा प्रमाणित विवरण इस कार्लालय को प्रेषित करें ताकि प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही हो सके । साथ ही साथ इनकी विभिन्न स्थानों पर सेवाकाल में नियुक्ति स्थानों का विवरण भी इस कार्यालय में उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें जिससे संबंधित स्थानों के आहरण वितरण अधिकारी /कोषागार से इस कार्यालय के स्तर से पत्राचार कर विवरणों की मांग की जा सके ।

29 APR 2014

भवदीय
21/4/14
लेखाधिकारी/जी0ई0–2

पत्रांक संख्या–जी0ई0–2/ग्रुप–3/एल0आई0डी0–शून्य/ तद्दिनांक–

प्रतिलिपि– श्री विनोद कुमार–3 अतिरिक्त जिला एंव सत्र न्यायाधीश गाजियाबाद को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

लेखाधिकारी/जी0ई0–2

S.O. (Adm H/A)
30/4
D.R. (M)

DR(M)
Necessary information has already been sent to the officer concerned vide Court's letter dated 14.3.14. May keep on record?
AK Srivastava
28/5/14
Jaiswal
29.05.14
S.O.
29-05-14
AR

S.O. Arvind
29-05-14
AR

Yes
30/5

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–द्वितीय,उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद ।

पत्रांकः–जी0ई0–2 / ग्रुप–3 / एलआईडी–शून्य / 116. दिनांक :– 12-05-2015.

सेवा में,

निबन्धक,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद–211001

विषयः– श्री विनोद कुमार–3 एच0जे0एस0 को स्वीकृत स्कूटर अग्रिम के अदेयता प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि श्री विनोद कुमार–3 को स्वीकृत स्कूटर अग्रिम रू0 12500/– के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र सं0 जी0ई0–2 / ग्रुप–3 / एलआईडी–शून्य / 98–99 दिनांक 21.04.2014 द्वारा अग्रिम के विरूद्ध अदायगी की विलुप्त किश्तों के ~~किसी के~~ समायोजन हेतु सम्बन्धित कोषाधिकारी / इरला / पी0ए0ओ0 द्वारा प्रमाणित विवरण उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था जो अभी तक अप्राप्त है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि अग्रिम के मूलधन की विलुप्त अदायगियों के समायोजन हेतु सम्बन्धित कोषाधिकारी / आहरण एवं संवितरण द्वारा प्रमाणित विवरण इस कार्यालय को प्रेषित करे ताकि प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही हो सके। साथ ही साथ इनकी विभिन्न स्थानों पर सेवाकाल में नियुक्ति स्थानों का विवरण भी इस कार्यालय में उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें जिससे सम्बन्धित स्थानों के आहरण वितरण अधिकारी / कोषागार से इस कार्यालय के स्तर से पत्राचार कर विवरणों की मांग की जा सके ।

भवदीय

12/5/15

(डी0पी0वर्मा)
वरिष्ठ लेखाधिकारी

Digitally signed by Sant Lal Sharma
Date: 2019.11.07 14:38:04 IST
Reason: A.R.(ADMIN-H)
Location: High Court, Allahabad